#### दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: - 20 अप्रैल, 2023

निम्न मामले में :-

<u>रि.या.(सि)</u> 6583/2017 और सि.वि.आवे. 27297/2017, 15459/2018, 30681/2018, 43621/2019, 17531/2022

रेफ्रिजरेटेड वाटर लाइसेंसीज एसोसिएशन (आरजीडी) और अन्य

.....याचीगण

द्वारा श्री अ

श्री अशोक छाबड़ा और सुश्री शैफाली गुप्ता, अधिवक्तागण।

बनाम

आयुक्त दक्षिण दिल्ली नगर निगम व अन्य ......प्रत्यर्थीगण

दवारा

श्री संजीव सभरवाल, एमसीडी के स्थायी अधिवक्ता सह सुश्री श्वेता, अधिवक्ता।

सुश्री कनिका अग्निहोत्री, अति.स्था.अधि., एनडीएमसी। श्री अनुज अग्रवाल, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए अति.स्था.अधि. सह सुश्री आयुषी बंसल, श्री संयम सूरी और सुश्री अरश्या सिंह प्रत्यर्थी सं. 5 के अधिवक्तागण। कोरम : माननीय मुख्य न्यायाधीश

#### माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

#### <u>निर्णय</u>

- 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका एक जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में रेफ्रिजरेटेड वाटर लाइसेंसीज एसोसिएशन (आरजीडी) द्वारा, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-
  - (क) वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार किया जाए और परमादेश की प्रकृति में रिट पारित की जाए और प्रत्यर्थींगण को बिना लाइसेंस वाले सड़क किनारे फेरीवालों द्वारा ई-रिक्शा द्वारा और अनधिकृत स्थायी संरचना द्वारा द्वारा द्वारा वानी की बिक्री पर और हानिकारक रसायनों और पदार्थों से बने कृत्रिम रूप से स्वादिष्ट रंगीन पेय पदार्थों की बिक्री और उन्हें शिकंजवी, लस्सी, आमरस आदि के रूप में स्टाइल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया जाए।
  - (ख) प्रत्यर्थीगण को अपने स्वयं के दिशानिर्देशों, नियमों और कानून का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाए, जैसा कि ऊपर कहा गया है।
  - (ग) किसी भी फेरीवाले को हानिकारक रसायनों और

पदार्थों से बने कृत्रिम रूप से सुगंधित रंगीन पेय पदार्थों को बेचने और उन्हें शिकंजवी, लस्सी, आमरस आदि के रूप में स्टाइल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- (घ) प्रत्यर्थीगण को ऐसे दूषित पानी और पेय पदार्थों की बिक्री करने वाले ऐसे ई-रिक्शा/विक्रेताओं को तुरंत जब्त करने और जुर्माना लगाने और अभियोजन और जहां से पानी बेचा जाता है वहां स्थायी संरचना को तोड़ने सहित कार्रवाई करने का आदेश दिया जाना चाहिए।
- (इ) पुलिस आयुक्त, प्रत्यर्थी संख्या 7 को सभी पुलिस थानों को एमसीडी की सहायता करने के लिए निर्देश जारी करने का आदेश दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिना लाइसेंस वाले फेरीवाले हानिकारक रसायनों और पदार्थों से बने कृत्रिम रूप से स्वादिष्ट रंगीन पेय पदार्थों की बिक्री न करें और उन्हें शिकंजवी, लस्सी, आमरस आदि के रूप में स्टाइल न करें।
- (च) उक्त मेट्रो स्टेशनों और अन्य स्थानों के बाहर पानी बेचने वाले व्यक्तियों को त्रंत हटा दिया जाए और

# उन्हें दूषित पानी बेचने से रोक दिया जाए और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

- 2. 17 अगस्त, 2017 को तत्काल याचिका में नोटिस जारी किया गया था और इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।
- 3. प्रत्यर्थीगण ने समय-समय पर आख्या रिपोर्ट दाखिल की है। दक्षिणी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रत्यर्थी होने के नाते इन आख्या रिपोर्टी में समय-समय पर की गई कार्रवाई जो छापों, घटिया स्तर की बर्फ को नष्ट करने और अभियोजन के रूप में की गई को दर्ज किया गया है,
- 4. समय-समय पर, याचीगण ने प्रत्यर्थीगण को शिकंजवी, आम रस, रंगीन पेय पदार्थों आदि की बिक्री और लाइसेंस के बिना पानी बेचने वाली पानी की ट्रॉलियों / पानी के एटीएम की बिक्री के बारे में सूचित करते हुए पत्र भी भेजे। इस संबंध में, याचीगण दिनांकित 14.04.2018, 27.07.2018, 11.03.2019, 25.09.2019 (स्थानीय आयुक्त), 05.04.2022 (दूषित बिक्री पर प्रतिबंध) के लिए भी आवेदन दायर किए हैं। ऐसे सभी आवेदनों पर नोटिस जारी किया गया था।
- 5. इसके अनुसरण में, दिनांक 17 अगस्त, 2022 को, प्रत्यर्थी संख्या 1/एसडीएमसी के अधिवक्ता ने इस न्यायालय को सूचित किया कि सभी निगमों को अब एक

निगम में विलय कर दिया गया है जो दिल्ली नगर निगम है और निगम की ओर से एक समेकित आख्या रिपोर्ट दाखिल करेगा।

6. दिल्ली नगर निगम की ओर से दिनांक 09.11.2022 को एक नवीनतम सामान्य आख्या रिपोर्ट दाखिल की गई थी। दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र में 12 जोन आते हैं और दिल्ली नगर निगम बिना लाइसेंस वाली पानी की ट्रॉलियों, बिना लाइसेंस वाले गन्ने के जूस की दुकानों, आइसक्रीम बेचने वाले अन्य व्यक्तियों, अनिधकृत पानी को ठंडा करने वाले संयंत्रों और पानी से बने अन्य उत्पादों द्वारा से पानी की बिक्री का अनिधकृत व्यापार करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई कर रहा है। इन 12 अनिधकृत जल शीतलन संयंत्रों के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष सारणीबद्ध प्रारूप में निम्नलिखित डाटा प्रस्तुत किया गया है:

#### <u>दक्षिण क्षेत्रः</u>

क्र.सं.	कार्रवाई	संख्या
1.	शिकंजी रेहड़ी जब्त	47
2.	लस्सी रेहड़ी जब्त	54
<i>3</i> .	कोल्ड ड्रिंक रेहड़ी जब्त	23
4.	जूस रेहड़ी जब्त	68
<i>5</i> .	जलजीरा रेहड़ी जब्त	54
6.	चीनी ट्रॉलियां जब्त	13

7.	पानी ट्रॉलियां जब्त	19
8.	पानी ट्रॉलियों जाँची गई	<i>547 (राउंड</i> )

## पश्चिम क्षेत्रः

क्र.सं.	की गई कार्रवाई	स्थिति
1.	शिकंजी, लस्सी, रंगीन पेय तथा जल	47
	जीरा आदि जब्त	
2.	गन्ना क्रशर जब्त	54
<i>3</i> .	अननुज्ञप्त पानी की ट्रॉली जब्त	23
4.	पानी ट्रॉली से निम्ब्, नींब् को हटाने	68
	की कार्रवाई	
<i>5</i> .	अवैध जल शीतलन संयंत्र के खिलाफ	54
	की गई अभियोजन कार्रवाई	

#### <u>मध्य क्षेत्रः</u>

क्र.सं.	<i>व्यापार</i>	कुल
1	रेहड़ी जल जीरा	45
2.	रेहड़ी शिकंजी	55
3	रेहड़ी लस्सी	35
4.	रेहड़ी रंगीन पेय	35
5	रेहड़ी आम पन्ना व पेय पदार्थ	35
6.	पानी ट्रॉलीज	08

7.	गन्ना क्रशर	04
8.	अवैध जल शीतलन संयंत्र के	06
	खिलाफ की गई अभियोजन	
	कार्रवाई	
9	जल शीतलन संयंत्रों को जारी	29
	कारण बताओं / सुधार नोटिस	

#### <u>नजफगढ़ क्षेत्र:</u>

क्र.सं.	की गई कार्रवाई	स्थिति
1.	शिकंजी, लस्सी, रंगीन पेय व	12
	जलजीरा आदि	
2.	गन्ना क्रशर जब्त	6
3.	अननुज्ञप्त पानी की ट्रॉली जब्त	शून्य
4.	पानी ट्रॉली से निम्बू, नींबू को हटाने	शून्य
	की कार्रवाई	
<i>5</i> .	अवैध जल शीतलन संयंत्र के खिलाफ	शून्य
	की गई अभियोजन कार्रवाई	

## सिविल लाइंस क्षेत्र:

क्र.सं.	की गई कार्रवाई	स्थिति
1.	लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, जलजीरा आदि	28
	जब्त	

2.	गन्ना क्रशर जब्त	18
<i>3</i> .	अननुज्ञप्त पानी की ट्रॉली जब्त	04
4.	पानी ट्रॉली से निम्बू, नींबू को हटाने	09
	की कार्रवाई	
<i>5</i> .	जल शीतलन संयंत्र के खिलाफ की	0
	गई अभियोजन कार्रवाई	
6.	जल शीतलन संयंत्र के खिलाफ जारी	15
	बंद करने का नोटिस / नोटिस	
7.	आइसक्रीम हाथ गाड़ी	11

## सिटी-एसपी क्षेत्र:

क्र.सं.	की गई कार्रवाई	स्थिति
1.	लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, जलजीरा आदि	124
	जब्त	
2.	गन्ना क्रशर जब्त	17
3	अननुज्ञप्त पानी की ट्रॉली जब्त	24
4.	पानी ट्रॉली से निम्बू, नींबू को हटाने	15
	की कार्रवाई	
5	जल शीतलन संयंत्र के खिलाफ की	05
	गई अभियोजन कार्रवाई	
6.	जल शीतलन संयंत्र के खिलाफ जारी	शून्य
	बंद करने का नोटिस	

#### शाहदरा (दक्षिण) क्षेत्र:

क्र.सं.	कार्रवाई	स्थिति
1.	लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, जलजीरा आदि	21
	जब्त	
2.	गन्ना क्रशर जब्त	7
3	अननुज्ञप्त पानी की ट्रॉली जब्त	1
4.	पानी ट्रॉली से निम्बू, नींबू को हटाने	1
	की कार्रवाई	
5	जल शीतलन संयंत्र के खिलाफ की	1
	गई अभियोजन कार्रवाई	
6.	जल शीतलन संयंत्र के खिलाफ जारी	शून्य
	बंद करने का नोटिस	

## शाहदरा (उत्तर) क्षेत्रः

क्र.सं.	की गई कार्रवाई	स्थिति
1	लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, जलजीरा आदि	06
	जब्त	
2.	गन्ना क्रशर जब्त	18
3	अननुज्ञप्त पानी की ट्रॉली जब्त	03
4.	पानी ट्रॉली से निम्बू, नींबू को हटाने	03
	की कार्रवाई	
5	जल शीतलन संयंत्र के खिलाफ की	10
	गई अभियोजन कार्रवाई	
6.	जल शीतलन संयंत्र के खिलाफ जारी	शून्य

बंद करने का नोटिस	

## रोहिणी अंचलः

क्र.सं.	जब्त किया गया वस्तुएं	कुल संख्या
1.	पानी ट्रॉली	1
2.	गन्ना क्रशर	15
3	रेहड़ी शिकंजी	8
4.	रेहड़ी लस्सी	5
5	रेहड़ी जल जीरा	6
6.	रेहड़ी जूस	12
7.	आइसक्रीम ट्रॉली	5
8.	आमरस / रंगीन पेय	3
9	बंटा नींबू	0
10	नष्ट बर्फ	6500
		किलोग्राम

## करोल बाग क्षेत्र:

क्र.सं.	जब्त की गई वस्तुएं	कुल संख्या
1.	पानी ट्रॉली जब्त	00
2.	गन्ना क्रशर	01
3	रेहड़ी शिकंजी जब्त	06
4.	रेहड़ी लस्सी जब्त	07
5	रेहड़ी जल जीरा	22

6.	रेहड़ी जूस	32
7.	आइसक्रीम ट्रॉली	00
8.	आमरस / रंगीन पेय	07
9	बंटा नींबू	01
10	नष्ट बर्फ	8758

#### <u>नरेला अंचलः</u>

क्र.सं.	जब्त की गई वस्तुएं	कुल संख्या
1	पानी ट्रॉली जब्त	-
2.	गन्ना क्रशर (कोल्ह्) जब्त	18
3	रेहड़ी शिकंजी जब्त	8
4.	रेहड़ी लस्सी जब्त	9
5	रेहड़ी जल जीरा	6
6.	रेहड़ी जूस	6
7.	आइसक्रीम ट्रॉली	4
8.	आमरस / रंगीन पेय	1
9	बंटा नींबू	1
10	नष्ट बर्फ	960
		किलोग्राम

#### केशव पुरम क्षेत्रः

क्र.सं.	जब्त की गई वस्तुएं	कुल संख्या
1	पानी ट्रॉली जब्त	19
2.	गन्ना क्रशर (कोल्ह्र्) जब्त	13
3	रेहड़ी शिकंजी जब्त	6
4.	रेहड़ी लस्सी जब्त	5
5	रेहड़ी जल जीरा	4
6.	रेहड़ी जूस	1
7.	आइसक्रीम ट्रॉली	8
8.	आमरस / रंगीन पेय	3
9	बंटा नींब्	2
10	नष्ट बर्फ	1790

7. उपरोक्त तालिकाओं के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण ज़ोन में दिनांक 01.05.2022 से 07.11.2022 तक स्वच्छता हेतु छापे मारे गए थे। इस तरह के छापों में, 47 शिकंजी रेहड़ी, 54 लस्सी रेहड़ी, 23 कोल्ड ड्रिंक रेहड़ी, 68 जूस रेहड़ी, 54 जलजीरा रेहड़ी, 13 गन्ने के रस की रेहड़ी, 19 पानी के ठेले और 547 पानी की ट्रॉलियों की जांच की गई। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि 132 शिकंजी, लस्सी और रंगीन पेय रेहड़ी, 11 गन्ने के रस की रेहड़ी, 03 गैर-लाइसेंसशुदा पानी की ट्रॉलियों को जब्त किया गया, नींबू की 148 रेहड़ी और

पश्चिमी क्षेत्र में 07 अवैध वॉटर कूलिंग प्लांट पर मुकदमा चलाया गया। इसी तरह केन्द्रीय, नजफगढ़, सिविल लाइंस, सिटी एसपी, शाहदरा (दक्षिण), शाहदरा (उत्तर), लोक स्वास्थ्य विभाग, करोल बाग, नरेला और केशापुरम जोन में भी कार्रवाई की गई है।

- 8. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण, जो अब दिल्ली के सार्वजानिक नगर निगम हैं, पुलिस की सहायता और मदद से सभी प्रचलित क्षेत्रों में हानिकारक रसायनों और पदार्थों से बने दूषित पानी और/या कृत्रिम रूप से रंगीन पेय के अवैध प्रसार के खिलाफ सिक्रयता से कार्रवाई कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण वर्ष 2018 से ही इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय प्रत्यर्थीगण द्वारा आगे की स्थिति/की गई कार्रवाई की आख्या प्रस्त्त करना आवश्यक नहीं समझता है।
- 9. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यर्थी/दिल्ली नगर निगम को यह सुनिश्चित करना जारी रखना चाहिए कि फेरीवाले दूषित पानी की बिक्री या शिकंजी, लस्सी, रंगीन पेय, सोडा पानी, लेमन सोडा, कटे हुए फल, गन्ने का रस, जलजीरा और रूहफ्ज़ा, कांजी बोतल आदि के रूप में किसी भी दूषित पेय को ना बाटें। इस सन्दर्भ में, प्रत्यर्थीगण को नियमित रूप से छापे मारने चाहिए, अवैध सामग्री को जब्त करना और दूषित पानी की बिक्री या शिकंजी, लस्सी, रंगीन पेय, सोडा पानी, लेमन सोडा, कटे हुए फल, गन्ने का रस, जल जीरा और रूहफ्ज़ा,

कांजी बोतल आदि के रूप में किसी भी दूषित पेय को बाटने वाले व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन शुरू करना चाहिए।

10. इसे ध्यान में रखते हुए, त्वरित जनहित याचिका का लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ निपटान किया जाता है।

श्री सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्यायाधीश

एस. सुब्रमण्यम प्रसाद, जे.

20 अप्रैल, 2023 पीएस जाकिर/एसएस

(Translation has been done through Al Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है तािक वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।